फर्द अहकाम

कन्नू प्रजापत बनाम कालूराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय—जयपुर

संख्या 45/2025 (टी. आई.)

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	13/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 01 ता 08, 11, 12 की ओर से बावजूद प्राप्ति नोटिस दिनांक 11.09.25, 27.09.25 के आज दिनांक तक न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीगण सं. 01 ता 08, 11, 12 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. हेतु निवेदन किया जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। मूलवाद विभाजन भाग के अनुतोष से सम्बन्धित है। जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की ओर से बावजूद प्राप्ति नोटिसों के ना तो न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी. आई. के तथ्यों का किसी भी रूप में व किसी भी स्तर पर कोई प्रभावी खंडन ही प्रस्तुत किया गया है। जिससे मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अतः चूंकि मूलवाद प्राथमिक डिक्री किया गया है। तथा पूर्व अन्तरिम स्थगन के संदर्भ में कोई अन्य आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत पूर्व अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 01.07.25 को तावफैसला मूलवाद स्थाई किया जाता है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि आ. खे. नं. 30/2 रकबा 5.12 है. वाके --- P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय—जयपुर

फर्द अहकाम

कनुराम बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 45/2025 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	13/10/25	ग्राम खण्डेला तहसील आमेर जिला जयपुर की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	